12.47 hrs.

STATEMENT RE. MANUFACTURE OF SCOOTER IN PUBLIC SECTOR

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को मालूम है कि सरकार ने गत वर्ष स्कूटर निर्माण करने के लिए एक कारखाना सरकारी क्षेत्र में लगाने का निर्णय किया था और एक उच्च शक्ति सम्पन्न तकनीकी विशेषज्ञों के दल की नियुक्ति यह देखने के लिए की थी कि क्या इसके लिये एक देशी नमूना तथा उत्पादन कार्यक्रम तैयार करना सम्भव है। विशेषज्ञों की इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और सरकार ने उसकी जांच की है। समिति ने यह सिफारिश की है कि दो पारी के आधार पर प्रारम्भ में 1,00, 000 स्कूटर प्रति वर्ष निर्माण करने के लिये जिसमें विस्तार की पहले ही व्यवस्था की गई हो, सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना की स्थापना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक है किन्तु उनका कथन है कि स्कूटर का देशी कोई नमूना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। समिति के अनुसार स्कूटर के नये नमूने को प्रारम्भ से तैयार करने में लगभग 4 से 5 वर्ष लगेंगे और फिर परियोजना के आयोजन तथा उसके कार्यान्वयन में तीन वर्ष और लगेंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि ऐसी सफल परियोजना की स्थापना के लिये जिसके स्कूटर देश तथा विदेश की मण्डियों में बिक सकें यह आवश्यक है कि समूचे विश्व में विद्यमान नमूने में से सबसे अच्छे नमूने का चयन किया जाये।

इस समय देश में पहले ही स्कूटरों की अत्याधिक मांग है और यह प्रतिदिन बढ़ रही है। निर्यात की भी अच्छी सम्भावनाएं हैं। अतः यह वांच्छनीय नहीं कि इस बड़ी तथा बढ़ती हुई मांग के लिये पूर्णरूपेण देशी नमूने के विकास के लिये वर्षों प्रतीक्षा की जाये।

इसी कारण सरकार ने यह निश्चय किया है कि प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र की परियोजना में किसी परीक्षित विदेशी नमूने के स्कूटर का निर्माण किया जाये जिससे कि उत्पादन को बिना विलम्ब आरम्भ किया जा सके।

इसी आधार पर स्कूटरों के निर्माण के लिये एक उपयुक्त नमूने के चयन के लिये पग उठाये जा रहे हैं ताकि सरकारी क्षेत्र में यथा सम्भव शीघ्रता से स्कूटरों के निर्माण को आरम्भ किया जा सके।

12.50 hrs.

ADVOCATES (SECOND AMEND MENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI JAGANATH RAO) : Sir, I big to move :

> "That this House recommends to Rajya Sabha that Rajsa Sabha do agree to leave being granted by this House to withdraw the Bill further to amend the Advocates Act, 1961, which was passed by Rajya Sabha on the 16th December, 1968 and laid on the Table of this House on the 18th February, 1969."

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाते हुए कहना चाहता हूं कि यह विधेयक राज्य सभा से पारित हो चुका था। राज्य सभा से पारित होने के बाद यह लोकसभा में आया। यहां से यह प्रवर समिति को चला गया। प्रवर समिति की बैठक हुई और गवाहियां आदि की गई। मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या विधि मंत्रालय इतना निष्क्रय और गाफिल हो गया है कि उस को यह पता ही नहीं है कि विधेयक को वापिस

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

लेना पड़ेगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि ग्राखिर प्रवर समिति को सौंप कर बैठकें आदि करा कर ग्रौर गवाहियां आदि करवा कर क्यों इतना पैसा बेकार में खर्च कराया गया जो इस तरह से अब विधेयक को उस के द्वारा वापिस लिया जा रहा है ? मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह गलत कार्यवाही कहां से हुई है ? राज्य सभा से विधेयक पारित हो चुका है और इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब आज सरकार कह रही है कि इस विधेयक को वापिस लिया जाय। आखिर इस गलती का दोष किस पर आता है ? उन के सेक्रेटेरियों पर आता है या उन पर दोष आता है, कौन इस के लिए जिम्मेदार है ?

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि अब सरकार का नया बिल लाने का निश्चय है। जिस समय हम लोग प्रवर समिति में गवाही ले रहे थे तो अनेकों इस प्रकार के सुझाव ग्राये ऐडवोकेट्स बिल को नये सिरे से संशोधित करने की आवश्यकता हैं क्योंकि जो वर्तमान विधेयक हमारे सामने था उस में केवल इतनी बात थी कि बार कौंसिल के अध्यक्ष, उस के चेयरमैन को नौमिनेटेड करने का प्राविधान उस में किया था। बाद में यह खयाल जाहिर किया गया कि वह जो बार कौंसिल का अध्यक्ष हो वह चुना हुआ होना चाहिए। इसलिए इस विधेयक में दुरुस्ती की आवश्यकता ग्रनुभव की गई। अब यह निश्चय हुआ है कि इस पर नये सिरे से विचार कर सरकार एक कम्प्रीहैंसिव बिल लाये और इसलिए वह वर्तमान बिल वापिस ले रही है। जो नया बिल वह लायेगी वह कम्प्रीहैंसिव होगा।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : इस से मेरी बात बिलकुल सिद्ध हो गई। जब गवाहियां होने के बाद यह आवश्यक समझा गया कि इस में शंशोधन किया जाय तो क्या विधि मंत्रालय को यह बिलकुल बुद्धि नहीं थी कि इस बिल को सुधारा जाय ?

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रक्सर ऐसा हो जाता है। अगर वह अब नये सिरे से बिल को लाना चाहते हैं तो उन से पूछ लेना चाहिए कि वह आखिर क्यों लाना चाहते हैं बाकी इस में कोई हर्ज नहीं है।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अभी श्री श्रीचन्द गोयल ने कहा है कि जब उस में गवाहियां ली जाने लगी तब पता चला कि उस में कुछ सुधार की आवश्यकताएं हैं ग्रौर उसी को दृष्टि में रख कर यह विधेयक वापिस लिया जा रहा है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव नहीं है कि जो सुझाव ग्राये और उस में जो परिवर्तन आवश्यक समझे गये वे सरकार की ओर से संशोधन की सूरत में ले ग्राये जाते और उसी विधेयक को क्यों नहीं लाया जा सकता ?

SHRI S. KUNDU (Balasore) : I do not want to repeat the points already made. I welcome that there is a desire that a comprehensive Bill should be brought before the House. I would like to have an assurance from the hon Minister that in the garb of bringing a comprehensive Bill this should not be stopped or delayed further. He should bring forward this Bill very soon before the House.

SHRI JAGANATH RAO : There is no the part of the Law Ministry at all. The Bill was introduced in Rajya Sabha and it was passed in December, 1969 and than it came to this House. When it was discussed there were demands from Members that it should go to a Select Committee and a Select Committee was constituted with Members of this House and also evidence

was taken. In the meanwhile, so many amendments were proposed with technically did not come within the purview of the amending Bill before the House, according to rules. It has to satisfy the Rules of Procedure and if I am asked to proceed with the amending Bill, I have no objection but the point is this. Certain amendments were proposed which technically do not come within rules.

My predecessor Mr. Govinda Menon made a statement before the Select Committee that he would withdraw this Bill with leave of the House and then bring forward a comprehensive Bill in the light of the amendments with have come to light. In March 1970 a committee was appointed regarding legal aid and about constitution of a fund and this is a very important suggestion which has come to the Notice of the Select Committee. Therefore we want to introduce that amendent also. I can assure the House that I am prepared to introduce the Bill in this session and if possible, to refer it to a Joint Select Committee of both the Houses.

MR. SPEAKER : It is going to be referred once again ?

SHRI JAGANATH RAO : Yes, Sir. both Housos. So many amendments have come to light. I will introduce it within this session.

MR. SPEAKER : All right. Now, the question is :

"That this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to level being granted by this House to withdraw the Bill further to amend the Advocates Act 1961, which was passed by Rajya Sabha on the 16th December, 1968 and laid on the Table of this House on the 18th February, 1969".

The motion was adopted

MR. SPEAKER : We will now resume the discussion that is already going on. Shri Nageshwar Dwivedy, not here ; Shri Krishnan not here. (*Interrnptton*). The House stands adjourned for lunch. Even if I do not say, we meet after one hour. We meet at 2 0' clock.

12.58 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

SHRI JOYTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : I had given a calling-attention-notice on the ultimatum given to the Durgapur workers by the management. But the Lok Sabha Secretariat staff came and informed me that it had been rejected, Would you be so good enough as to ask Government to make a statement whether they want to stick to this ulmtimatum business to the poor workers of Durgapur who are fighting for their exstence or they will withdraw that ultimatum and sit down to negotiate and settle issues amicably ?

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : But for God's sake, let him not exploit them.

श्री शशि भूषण (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में पांच छः जिलों में डाकुओं की समस्या इतनी बढ़ गई है कि पिछले दिनों बच्चों को और शिक्षकों को डाकू पकड़ ले जाते हैं। 15 बच्चों को वह पकड़ कर ले गए। सारे क्षेत्र में यह डाकू बढ़ रहे हैं। पुलिस से ज्यादा माडर्न हथियार डाकुओं के पास हैं, हैंड ग्रैनेड्स उन के पास हैं। केन्द्रीय सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि इसे नेशनल प्राबलम में समझा जाये और फौज की सहायता से या केन्द्र से ज्यादा पुलिस भेज कर इस प्राबलम को शीघ्र हल किया जाय। कम से कम 1 हजार डाकू आज इस क्षेत्र में हैं और जनता उन से त्रस्त है। केन्द्रीय सरकार उस पर ध्यान दें।

श्री रणधीर सिंह : इस मामले के ऊपर होम मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट दें खास तौर से

[श्री शशिभूषन]

और पार्लियामेंट्रीं मिनिस्टर महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा कि उन की नोटिस में वह इस चीज को लाएं। यह सारे देश के बच्चों का मसला है। आज वहां यह हो रहा है, कल हमारे यहां हो सकता है। यह देश की पास्टरिटी और इज्जत का सवाल है।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मध्य प्रदेश का जो डैक्वायटीं का प्राबलम है उस से राजस्थान भी संबंधित हैं। वहां जब यह सारी घटनाएं बढ़ती हैं तो राजस्थान को भी खतरा होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस का तुरन्त ही इंतजाम किया जाय।

श्री रणधीर सिंह : सारे देश के बच्चों को खतरा है। हमारी पास्टरिटी को खतरा है।

This is something very serious. Govern--ment should take serious Notice of this. Let the Parliamentary Affairs Ministry bring it to the notice of Home Minister who should make a statement. This mence has, to be met effectively on a national basis.

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह (भिंड) : उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि मध्य प्रदेश में डकैती की गम्भीर समस्या है इस से हमारे मध्य प्रदेश के लोग बहुत परेशान हैं। न प्रान्तीय सरकार इस का सफलता पूर्वक इलाज कर रही है और केन्द्रीय सरकार ही, केन्द्र से जो सहायता मांगी जा रही है वह भी केन्द्रीय सरकार नहीं दे रही है। लोग इतने दुखी हैं कि एक पति पत्नी तो संसद भवन के निकट यहां अनशन करके बैठे हुए हैं। उन की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि शासन को आप आदेश दें, सलाह दें कि वह संसद में बयान दें व इस पर चर्चा करने के लिए समय निर्धारित किया जाय।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के मामले में मुझे कुछ कहना है। आप जानते हैं कि किसी अखबार के मुताल्लिक यदि विशेषाधिकार का मामला उठाने की बात आती है तो उस सदस्य को मौका दिया जाता है कि वह उठाए और तब यदि स्पीकर यह चाहेंगे कि इस को हम एडीटर से पूछेंगे कि क्या बात है तो तब उस को लिखेंगे। ऐसा पहले हुआ है। तो मैंने पटना के "इंडियन नेशन" के बारे में सवाल उठाना चाहा ...

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think he raised this point before the lunch recess and it was settled.

श्री शिव चन्द्र झा : मेरी बात सुन लीजिए जो मैं कहना चाहता हूं। मैंने यह बात उठाई। यह बात पहले भी जब उठाई गई तो स्पीकर ने पहले सदस्य को मौका दिया अपनी बात उठाने का और तब जा कर के एडीटर से पूछा। मैं ने नोटिस दिया पटना के इंडियन नेशन के खिलाफ लेकिन मुझे यह बात उठाने का मौका नहीं दिया गया और कहा गया कि एडीटर को लिखा गया है। अब एडीटर का जवाब आएगा वह मेरे पास भेज दिया जायगा तो सदन को तो मालूम हो नहीं सकेगा कि विशेषाधिकार का मामला क्या था। तो यह डबल नीति क्यों अख्यार कर रहे हैं? आप स्पीकर को कहें कि यह कैसा प्रोसीजर है?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I do not know what went on before the lunch recess. If he is referring to rule 225, he has got to obtain the Speaker's permission even before raising it here.

श्री शिव चन्द्र झा : वह उन की परमीशन आई कम्युनिकेशन के जरिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The rule is very clear. It says. 'The Speaker, if he gives

consent under rule 222......' I do not know whether he has given consent or not.

श्री शिव चन्द्र झा : उन की कंसेंट आ गई इस तरीके से मुझ को कम्युनिकेट कर दिया गया है कि यह विशेषाधिकार को जो बात है यह एडीटर से पूछी जा रही है तो इस के क्या माने हैं ? इस का मतलब है कि यह ऐडमिट हो गया है लेकिन मुझे इसे उठाने की इजाजत नहीं दी गई।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will explain the procedure. Whenever a member raises this question, the Speakar, before doing anything, ascertains the position from the editor. I think this has been followed in every case.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : No, Sir. In the past also it has happned, two or three privilege motions were brought, and the Members were allowed to stand up in their seats and say whatever they wanted to say. but in my case a communication has been sent to me saying that the matter has been accepted and the Editor has been asked to explain, and that later when his reply comes, it would be sent to me. This is strange. The House would not know what the issue was at all. When a privilege issue is brought up, it should be allowed to be raised here and the House should know what it is about. The House should also know that the matter has been sent to the Editor, and the reply when received, should be communicated to the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think that the matter will be brought up before the House when the reply is received.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस बारे में स्टेटमेंट दे कि न्यूयार्क में वहां की सेनेट की उप-समिति में एक सेनेटर नेलसन ने इस बात को कहा कि अमरीका की ड्रग कम्पनियां भारत पाकिस्तान और दूसरी विकासोन्मुख देशों में अपनी दवाओं की कीमत 1.5 हजार से 5 हजार प्रतिशत तक वहां से अधिक लेती हैं ...

MR. DEPUTY-SPEAKER : This was published in the *Times of India*. I think Members know about it. Kindly send a proper notice if you want to raise this question, not in this way.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, आप की मार्फत मैं इस्पात मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि 20 तारीख को बोकारों में वहां के कर्मचारी और मजदूर हजारों की तादाद में अपनी मांगों के सम्बन्ध में टोकेन स्ट्राइक करने जा रहे हैं एक दिन का। वहां कट्रैक्टर प्रथा भी जारी है जिस के कारण उनको बहुत कष्ट है। अभी 20 तारीख में देर है। मैं चाहूंगा कि इस बीच में इस्पात मंत्री दखल दे कर वहां का मसला तय करवा दें ताकि वहां हड़ताल न हो और कारखाने के काम को आगे बढ़ाने में आसानी हो। मंत्री महोदय को इस का कोई न कोई हल निकलना ही चाहिये।

14.13 hrs

MOTIONS *RE*: REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND THE COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY—Contd.

श्री नागेश्वर द्विवेदी (मछली शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

इस में कोई सन्देह नहीं कि 23 वर्ष की स्वतंन्त्रता के बाद भी हरिजनों से सम्बद्ध समस्याओं का सन्तोषजनक समाधान नहीं हो सका। यह खेदजनक है और लज्जाजनक भी है। गांधी जी ने अपने जिन रचनात्मक कार्यों को ले कर के स्वतन्त्रता की लड़ाई का संचालन